न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

बइजलास दीपक सिंह खटाना (RAS)

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
35/दावा/2022	15.03.2022	20-01-25

1. लोकेश कुमार आ0 श्रीनाथ गुप्ता दत्तक पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन निवासी अडीला तहसील के0पाटन हाल निवास मकान नम्बर 261–शास्त्रीनगर दादाबाडी कोटा तहसील लाडपुरा कोटा राज0

.........वादी

//बनाम//

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. श्रीनाथ आ0 किशनलाल जाति महाजन निवासी अडीला तहसील के0पाटन हाल निवास मकान नम्बर 261–शास्त्रीनगर दादाबाडी कोटा तहसील लाडपुरा कोटा राज0

.......प्रतिवादीगण

वाद – अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती
वाद अर्न्तगत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट
सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. वादी की ओर से श्री उमाशंकर नागर
2. प्रति0सं0 1 की ओर से सरकार पैरोकार जर्ये तहसीलदार
3. प्रति0सं0 2 की ओर से श्री लक्ष्मीशंकर गौचर

वादी श्रीमान के समक्ष निम्न वाद पेत्र पेश करता है:–

1. यह कि आराजी खाता संख्या 373 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1456 रकबा 1.90 है0, खसरा संख्या 1520 रकबा 2.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.94 है0 वाके ग्राम व माल अडीला तहसील के0पाटन में विस्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज है।
2. यह कि आराजी खाता संख्या 391 की कृषि भूमि खसरा संख्या 692 रकबा 0.24 है0, खसरा संख्या 876 रकबा 0.58 है0, खसरा संख्या 879 रकबा 0.29 है0, खसरा संख्या 881 रकबा 0.14 है0, खसरा संख्या 1431 रकबा 1.96 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.21 है0 वाके ग्राम व माल अडीला तहसील के0पाटन में विस्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज है।
3. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 श्रीनाथ वल्द किशनलाल हिस्सा 1/2 व कन्हैयालाल वल्द रामगोपाल हिस्सा 1/2 थे और इसी अनुसार काबिज काश्त थे।
4. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार कन्हैयालाल वल्द रामगोपाल जाति महाजन निवासी अडीला ने अपने 1/2 हिस्से की रजिस्टर्ड वसीयम वादी के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। कन्हैयालाल जी की मृत्यु के

Scanned with OKEN Scanner

पश्चात् उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वादी के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 549 दिनांक 09.03.1987 एवं नामान्तकरण संख्या 557 दिनांक 04.08.1987 से कन्हैयालाल जी के हिस्से की भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है।

5. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि में कन्हैयालाल जी की मृत्यु के पश्चात वादी के पक्ष में खोले गये नामान्तकरण संख्या 549 व 557 में वादी के प्राकृतिक पिता श्रीनाथ का नाम दर्ज किया जो सम्वत् 2046 से 2049 की जमाबन्दी तक चलता रहा। अर्थात लोकेश कुमार वल्द श्रीनाथ जाति महाजन सा0 देह दर्ज था। लेकिन सन् 1995 से 2015 के बन्दोबस्त में सेटलमेंट के अधिकारियों ने वादी को बिना सूचना दिये वादी के नाम के पीछे लोकेश कुमार दत्तक पुत्र कन्हैयालाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जिसका कि उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

6. यह की वाद जब अपने खाते की नकल लेने हल्का पटवारी के पास गया तो अपना खाता देखकर दंग रह गया कि लोकेश कुमार वल्द श्रीनाथ के स्थान पर लोकेश कुमार दत्तक पुत्र कन्हैयालाल दर्ज हो रहा है।

7. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि में पूर्व की भांति ही लोकेश कुमार वल्द श्रीनाथ नाम दर्ज करवाने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 के पास गया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया तब वादी अंतिम आर दिनांक 02.03.2022 को भी गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी का नाम पूर्व की भांति दर्ज करने से मना कर दिया। यही वाद कारण है जो निरन्तर जारी है।

8. यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि में सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा किये गये इन्द्राज लोकेश कुमार दत्तक पुत्र कन्हैयालाल के स्थान पर पूर्व की भांति लोकेश कुमार वल्द श्रीनाथ जाति महाजन सा0 देह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करावें।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि में वादी के निहित 1/2 हिस्से की कृषि भूमि में सेटलमेंट से पूर्व दर्ज नाम लोकेश कुमार वल्द श्रीनाथ जाति महाजन सा0 देह दर्ज करते हुये लोकेश कुमार दत्तक पुत्र कन्हैयालाल विलोपित करने की डिक्री फरमाई जावें। इसर अनुरूप राजस्व रिकार्ड में इन्द्रात दुरूस्त किया जावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 सरकार पैरोकार तहसीलदार की तरफ से प्राप्त जवाब अनुसार खाता संख्या 373 के खसरा संख्या 1456 रकबा 1.90 है0, खसरा संख्या 1520 रकबा 2.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.94 है0 पर लोकेश कुमार दत्तक पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा अरनेठा के रहन दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 391 में खसरा संख्या 692 रकबा 0.24 है0, खसरा संख्या 876 रकबा 0.58 है0, खसरा संख्या 879 रकबा 0.29 है0, खसरा संख्या 881 रकबा 0.14 है0, खसरा संख्या 1431 रकबा 1.96 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.21 है0 पर श्रीनाथ वल्द किशनलाल जाति महाजन सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा अरनेठा के रहन दर्ज है। मजमेआम एवं प्राप्त

Scanned with OKEN Scanner

दस्तावेजो से लोकेश कुमार के पिता का नाम श्रीनाथ है एवं जिस वसीयत से लोकेश कुमार को खातेदार दर्ज रेकार्ड किया उसमें भी लोकेश कुमार पि0 श्रीनाथ लिखा है साथ ही सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदियों में भी लोकेश कुमार पि0 श्रीनाथ दर्ज है। परन्तु सेटलमेंट के बाद की जमाबंदी में लोकेश कुमार दत्तक पुत्र कन्हैयालाल दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य में PW-1 लोकेश कुमार का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल सन् 01.04.1995 से 31.03.2015 अडीला, भू–प्रबन्ध विभाग राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 121 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म संख्या 7 ग्राम अडीला सन् 01.04.1995 से 31.03.2015 की खतौनी जमाबंदी खता संख्या 306, खता संख्या 298, खता संख्या 306, जमाबंदी खाता संख्या नई 250 ग्राम अडीला सम्वत् 2046 से 2049, जमाबंदी खाता संख्या नई 122 ग्राम अडीला सम्वत् 2046 से 2049, नामा0 रजिस्टर ग्राम अडीला दिनांक 09.03.87 एवं 04.08.87 पेश की है।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन पर पत्रावली में संलग्न तहसीलदार जवाब एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होता है कि लोकेश कुमार के पिता का नाम श्रीनाथ है। साथ ही सेटलमेंट से पूर्व की जमाबंदियों में भी लोकेश कुमार पि0 श्रीनाथ दर्ज है। परन्तु सेटलमेंट के बाद की जमाबंदी में लोकेश कुमार दत्तक पुत्र कन्हैयालाल त्रुटि पूर्वक दर्ज रेकार्ड हुआ है। लोकेश कुमार दत्तक पुत्र कन्हैयालाल के स्थान पर लोकेश कुमार पि0 श्रीनाथ दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–: निर्णय :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार के0पाटन को आदेशित किया जाता है कि खाता संख्या नया 383 पुराना 373 कृषि भूमि खसरा संख्या 1456 रकबा 1.90 है0, खसरा संख्या 1520 रकबा 2.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.94 है0 वाके ग्राम व माल अडीला तहसील के0पाटन जिला बून्दी में दर्ज वादी का नाम ''लोकेश कुमार दत्तक पुत्र कन्हैयालाल'' के स्थान पर ''लोकेश कुमार वल्द श्रीनाथ'' अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 20-01-25 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(दीपक सिंह खटाना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

उपखण्ड अधिकारी के0पाटन जिला बूंदी

Scanned with OKEN Scanner